

छत्तीसगढ़ शासन  
वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर  
अधिसूचना सं०. 43/2017- राज्य कर (दर)


नया रायपुर, दिनांक : 14 नवम्बर, 2017

क्रमांक एफ-10- 92 /2017/वाक/पांच (165) - छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 9 की उपधारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं० 4/2017- राज्य कर (दर), क्रमांक एफ-10-43/2017/वाक/पांच(72), तारीख 28 जून, 2017, जो छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण), क्रमांक 252 में दिनांक 29 जून, 2017 को प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात:-

उक्त अधिसूचना में, तालिका में, क्रम संख्या 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-


"4क	5201	कच्चा कपास	कृषिक	कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति";
-----	------	------------	-------	----------------------------

2. यह अधिसूचना 15, नवंबर 2017 से प्रवृत्त होगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,  
  
(ए.पी. त्रिपाठी)  
विशेष सचिव

नया रायपुर, दिनांक : 14 नवम्बर, 2017

क्रमांक एफ-10- 92 /2017/वाक/पांच- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10- 92 /2017/वाक/पांच (165), दिनांक 14/11/17 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,  
  
(ए.पी. त्रिपाठी)  
विशेष सचिव

**Government of Chhattisgarh  
Commercial Tax Department  
Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Naya Raipur**

**Notification No. 43/2017-State Tax (Rate)**

Naya Raipur, 14<sup>th</sup> November, 2017

No. F-10-92/2017/CT/V (165) - In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification No. 4/2017- State Tax (Rate), No. F-10-43/2017/CT/V (72) dated 28<sup>th</sup> June, 2017 of the State Government, Commercial Tax Department, published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, *vide* number 252 dated the 29<sup>th</sup> June, 2017, namely:-

In the said notification, in the TABLE, -

(i) after Sl. No. 4 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

"4A.	5201	Raw cotton	Agriculturist	Any registered person".
------	------	------------	---------------	-------------------------

2. This notification shall come into force with effect from the 15<sup>th</sup> day of November, 2017.

By order and in the name of the  
Governor of Chhattisgarh,

  
(A.P. Tripathi)

Special Secretary